भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.प्रेस नोट/34/2017 दिनांक: 7 अप्रैल, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: भिंड (मध्य प्रदेश) प्रकरण पर जांच रिपोर्ट।

श्री भंवर लाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दल ने यह पाया कि 31 मार्च, 2017 को अटेर(भिंड) में प्रदर्शन के दौरान प्रयोग की गई ईवीएम तथा वीवीपीएटी में कोई **असंगति नहीं है या इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं हुई है**। मीडिया में तथा राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जांच गठित की गई थी।

2. 31 मार्च के प्रदर्शन के बैलेट यूनिट(बी यू), कंट्रोल यूनिट (सी यू) तथा वीवीपीएटी की तकनीकी जांच, प्रदर्शन के दौरान वहां उपस्थित अधिकारियों की मौखिक जांच, सी यू से प्राप्त किए गए डाटा ने यह निश्चित तौर पर सिद्ध कर दिया है कि प्रदर्शन के दौरान बी यू के चार बटनों को निम्नलिखित क्रम में दबाया गया था:

बटन सं	प्रतीक	अभ्यर्थी का नाम
03	हैंडपम्प	राजू पाल
04	कमल	सत्यदेव पचोरी
03	हैंडपम्प	राजू पाल
01	हाथ	अम्बुज शुक्ला

अत: यह स्पष्ट है कि प्रदर्शन के दौरान ईवीएम पर विभिन्न बटनों को दबाए जाने पर संबंधित प्रतीक दिखाई दिए थे।

3. दल ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि यह कहना पूर्णत: असत्य है कि 31 मार्च को प्रदर्शन के दौरान विभिन्न बटनों को दबाने पर अनेक बार कमल की पर्चियां मुद्रित हुई थी।

4. कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जहां से वीवीपीएटी (ईवीएम नहीं) प्राप्त की गई थी और आयोग के निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार डमी अभ्यार्थियों के प्रतीक/डाटा को पुन: अपलोड किए जाने से पहले, पूर्व के अपलोड किए गए डाटा को नहीं हटाए जाने से संबंधित चूक का प्रश्न है, इस पर आयोग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

आरोपों पर जांच समिति का निष्कर्ष निम्नानुसार है:

1. भिंड में प्रदर्शन में प्रयोग की गई ईवीएम उत्तर प्रदेश से नहीं लाई गई थी। तथापि, प्रदर्शन में प्रयोग की गई वीवीपीएटी उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। चूंकि वीवीपीएटी सीमित संख्या में है तथा 5 राज्यों के पिछले निर्वाचनों के दौरान सभी निर्वाचनरत राज्यों द्वारा प्रयोग की गई थी, अत: आयोग द्वारा 10 राज्यों के उप-निर्वाचनों के लिए वीवीपीएटी का विवरण निर्वाचन कराए गए विभिन्न राज्यों से निर्वाचन करवाए जाने वाले विभिन्न राज्यों को

वीवीपीएटी आबंटित करते हुए किया गया था। इस मामले में, वीवीपीएटी उत्तर प्रदेश से आबंटित की गई थी और इसे कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश के गोविन्द नगर से मंगाया गया था।

2. उत्तर प्रदेश से वीवीपीएटी मंगवाया जाना कानून का उल्लंघन नहीं है। विधि के अनुसार, केवल मतदान में प्रयोग की गई ईवीएम तथा बक्से में रखी गई वीवीपीएटी पर्चियों को ही निर्वाचन याचिका, यदि कोई हो, के उद्देश्य से , **45** दिनों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाना अपेक्षित है। वीवीपीएटी मशीनों को हटाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है चूंकि इन्हें निर्वाचन याचिकाओं के लिए संरक्षित किया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि **वीवीपीएटी के माध्यम से मुद्रित पेपर पर्चियां तथा बक्से में रखे गए वीवीपीएटी को अलग से रखा जाना अपेक्षित है।** इस मामले में तथापि, मतदान के दौरान एवजी के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए केवल आरक्षित रखी गई वीवीपीएटी को ही ले जाकर अत्याधिक सावधानी बरती गई थी, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

समिति ने संस्तुति की है कि-जांच निर्णायक रूप से यह प्रमाणित करती है कि :-

1.ईवीएम तथा वीवीपीएटी, उक्त ईवीएम/वीवीपीएटी सहित, की कार्य प्रणाली की सटीकता संदेह से परे है।

2. जांच रिपोर्टों में पाई गई चूकों के लिए आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

3. आयोग ईवीएम/वीवीपीएटी से संबंधित प्रत्येक क्रियाकलाप को निष्पादित करने के लिए जांच सूची निर्धारित करे जिसका निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए तथा इसकी आयोग द्वारा एमआईएस ऑनलाइन के माध्यम से निगरानी किया जाना चाहिए। समय-समय पर जारी किए गए विद्यमान अनुदेशों को इन जांच सूचियों के रूप में, संकलित किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम/वीवीपीएटी पर विभिन्न क्रियाकलापों को निष्पादित किए जाने के संबंध में निर्धारित उक्त संशोधित जांच सूचियों का पीठासीन अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर तक की समस्त निर्वाचन मशीनरी द्वारा अवश्य सख्ती से अनुपालन किया जाए।

4. आयोग यह दोहराना चाहता हे कि निर्वाचकीय मामलों को निष्पादित करने में लापरवाही और कम से कम अनुपयुक्त टिप्पणियों का तो कोई स्थान नहीं हे क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता ही भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बनाती है।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक